—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 145/2023

उनवान

1. रामदेव,
2. पप्पू पुत्र उदा,
3. कालू,
4. देवा पुत्र हमीरा,
5. सुजी पत्नि हमीरा,
6. गोपी पुत्र गोकुल,
7. लाला पुत्र छोटू समस्त जातिगण गुर्जर निवासी नवाब तहसील नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बालू,
2. लाल,
3. पप्पू पुत्र घीसा,
4. तेजा,
5. गणेश,
6. किशन पुत्र रंगलाल,
7. छोटी पत्नि रंगलाल,
8. अर्जुन पुत्र काना,
9. गोपाल पुत्र गंभीरा,
10. भागचन्द पुत्र प्रताप,
11. मेवाराम पुत्र काना
12. रामदेव पुत्र प्रताप,
13. सुवाराम पुत्र काना
14. हुक्मीचन्द पुत्र काना,
15. हरि पुत्र प्रताप समस्त जातिगण गुर्जर निवासी नवाब तहसील नसीराबाद,
16. मैनेजर आईसीआईसीआई देराठू ,
17. मैनेजर स्टेट बैक आफ इंडिया शाखा तिहारी,
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद,

—— अप्राथीगण :— 1 से 4, 5, 8 से 15 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
18 जरिये राज. [illegible], शेष अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

19. भंवरलाल,
20. बिरदीचन्द पुत्र गोकुल,
21. देवी पत्नि सुरजमल,
22. सीमा,
23. सन्नू,
24. लाली पुत्री सूरजमल,
25. किशन,
26. गोरधन पुत्र छोटू,
27. किशनी पुत्री छोटू,
28. लाली पुत्र छोंटू,
29. सुरज पुत्री छोटू समस्त जातिगण गुर्जर निवासी नवाब तहसील नसीराबाद

—— प्रफोमा अप्रार्थीगण :— 19 से 24 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत

शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 31.1.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्रामव प. म. नवाब में स्थित आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है, जिसका राजस्व अभिलेख अनुसार विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
333	1—3—0	657 मिन	0—12—0	495	0.10
		656 मिन	0—10—0	495/1914	0.08
		655 मिन	0—12—0	496	0.10
334	0—14—0	655 मिन	0—12—0	496	0.10
		656 मिन	0—10—0	495/1954	0.13
335	0—3—10	657 मिन	0—12—0	495	0.10

उपरोक्त आराजी चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 व 2020 से 2023 में पुराने खसरा नम्बर 333, 334 की भूमि उदा, हमीरा व गोकुल पि. हरदेव के नाम खातेदारी दर्ज थी। उदा के वारिस प्रार्थी संख्या 1 व 2 है तथा हमीरा के वारिस प्रार्थी संख्या 3 से 5 व गोकुल के वारिस प्रार्थी संख्या 6 व 7 व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण है। उक्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की है। आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 656, 655, 657 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नम्बर 495 रकबा 0.10 प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया किन्तु हाल खसरा नम्बर 495/1914, 495/1954, 496 अप्रार्थी [illegible] से 15 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दर्ज कर दिया। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र, हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 5, 8 से 15 व 19 से 24 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 333, 334 व 335 के वंर्किग खसरा नम्बर 655, 656 व 657 अलग– अलग बने है। अर्थात चौसाला खसरा नम्बर 333 के वंर्किग खसरा नम्बर 657, 655 व 656 बने है। चौसाला खसरा नम्बर 334 के वंर्किग खसरा नम्बर 655 व 656 बने है तथा चौसाला खसरा नम्बर 335 के वंर्किग खसरा नम्बर 657 बने है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित सारणी में चौसाला खसरा नम्बर का कुल रकबा 2–0–10 है तथा वंर्किग खसरा नम्बर का कुल रकबा 3–8–0 है। अर्थात चौसाला व वंर्किग खसरा नम्बर के रकबे में 1–7–10 भूमि का अन्तर है। उक्त रकबे में अन्तर का कारण प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद में स्पष्ट नही किया है। इसी प्रकार आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर का कुल रकबा 0.61 है जो कि 3–16–0 होता है। सारणी में चौसाला, वंर्किग व हाल खसरा नम्बर के रकबे में अन्तर है। प्रार्थीगण चौसाला जमाबंदी में 2–10–0 के खातेदार बताते है। किन्तु उनके द्वारा 0.61 अर्थात 3–16–0 रकबे की दुरूस्ती हेतु वाद पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा हाल व साबिक खसरा नम्बर के समस्त रकबे की स्थित अपने वाद में स्पष्ट नही की है। साथ ही आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता की खातेदारी व कब्जे काश्त में कदीम से चली आ रही है। उक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग द्वारा सही रूप से अंकित की है। प्रार्थीगण द्वारा 1970–71 के इन्द्राज को दुरूस्त कराने हेतु 2023 में उक्त वाद पेश किया है। अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी वर्ष 1970–71 से पूर्व ही खातेदारी दर्ज है। कब्जा भी अप्रार्थीगण का तत्समय से चल आ रहा है। अप्रार्थीगण 12 वर्ष से अधिक समय से प्रार्थीगण की जानकारी में आरजी मुतनाजा पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त है। अतः कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण का वाद निरस्त व खारिज योग्य है। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>

ग्राम नवाब के चौसाला खसरा नम्बर 333 रकबा 1–3–0 व 335 रकबा 0–3–10 व 334 रकबा 0–14–0 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 व 2023 से 2026 में गोकल, हमीर, उदा पुत्र हरदेव के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 495 [illegible] आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी [illegible] इन्द्राज कारण अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested

––4

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आराजी मुतननाजा पर दखलदांजी कर रहे है व राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से वे अन्यत्र हस्तांतरण करनने पर आमादा है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त प्रार्थनना पत्र/वाद अत्यंत विलम्ब से पेश किया है, तथा आराजी मुतनाजा पर कब्जा अप्रार्थीगण का बताया है। किन्तु कब्जे के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के वाद की कोई मियाद नही होती है। वादग्रस्त सम्पदा का साबिक व हाल राजस्व अभिलेख परिवर्तित है। उक्त परिवर्तन का कोई आदेश, नामान्तकरण पत्रावली पर नही है। बंदोबस्त विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना था। पूर्व में आराजी मुतनाजा के तीन खसरा नम्बर थे जिसके हाल राजस्व अभिलेख में 4 खसरा नम्बर बने है, इस कारण पूर्व व हाल खसरा नम्बर के कुल रकबे में अन्तर है जिनका निर्धारण मूल वाद में ही किया जा सकता है। हाल खसरा नम्बर 495/1914 रकबा 0.08 के वंर्किग खसरा नम्बर 654 व चौसाला खसरा नम्बर 336 है जिसकी स्थिति प्रार्थीगण ने वाद व प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही की है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सिद्व नही होता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से शेष खसरा नम्बर पर प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा के साबिक व हाल राजस्व अभिलेख में खातेदारी इन्द्राज में बिना किसी आदेश के परिवर्तन किया गया है। पक्षकारान के मध्य आराजी मुतनाजा के सबंध में लडाई–झगडा होने बाबत धारा 126, 135 (3) 170 जाब्ता फौजदारी की प्रति भी पेश की है। जिससे प्रकरण में विशेष परिस्थिति भी सिद्व होती है। अप्रार्थीगण द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी की जाती है अथवा भूमि का अन्यत्र हस्तांतरण किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्राथीगर्ण सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– ग्राम नवाब के हाल खसरा नम्बर 496 रकबा 0.10, 495/1954 रकबा 0.13 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया ग

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद